

हुआ।

- अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम आनन्दपुरा उर्फ फूटातालाव पटवार हल्का लखावा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 33/113 की 0.20 हैक्टर भूमि जो वादीगण के पिता की खातेदारी की भूमि है, का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे।
- ग्राम आनन्दपुरा उर्फ फूटातालाव पटवार हल्का लखावा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 33/113 की रकबा 0.20 हैक्टर भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते से हटायी जाकर वादीगण की खातेदारी में दर्ज किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती फरमायी जावे तथा प्रतिवादीगण को ग्राम आनन्दपुरा उर्फ फूटातालाव पटवार हल्का लखावा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 33/113 की 0.20 हैक्टर भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे अथवा आवंटन व अन्य प्रकार से सेट अपाट व अंतरण व हस्तान्तरण नहीं करे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न अपने प्रतिनिधि से करावे।
- 3. वादीगण की ओर से अपने कथन के समर्थन में प्रकरण की विवादित आराजी से सम्बन्धित निम्न दस्तावेज पेश किये गये -
 - (1) प्रदर्श-1 नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038-57 प्रदर्श 1 है।
 - (2) प्रदर्श-2 नकल जमाबंदी संवत् 2038-57 ग्राम आनन्दपुरा उर्फ फूटातालाव प्रदर्श 2 है
 - (3) प्रदर्श-3 नकल जमाबंदी संवत् 2027-30 प्रदर्श 3 है।
 - (4) प्रदर्श-4 नकल जमाबंदी संवत् 2027-30 प्रदर्श 4 है।
 - (5) प्रदर्श-5 नकल जमाबंदी संवत् 2071-74 प्रदर्श 5 है।
- 4. प्रकरण में प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से निम्न जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि-
 - वादी ने आराजी खसरा नम्बर 23/113 रकबा 0.20 हैक्टर वाके ग्राम आनन्दपुरा उर्फ फूटातालाव तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की भूमि किशान वल्द देवा जाति भील निवासी रंगबाडी ने उक्त भूमि क्रेता रामलाल पुत्र छीतरलाल जाति भील, निवासी 7 एच 25 महावीर नगर तृतीय के नाम करा दी थी और जो नामान्तरण संख्या 65 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.01.1998 किशाना वल्द देवा के स्थान पर खरीददार का नाम दर्ज हो गया था, और उसी दिन किशाना एवं किशाना के वारिसान को उक्त वाद लाने का अब कोई कानूनी अधिकार नहीं है, इसलिये दावा वादी प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है।
 - रामलाल पुत्र छीतरलाल ने उक्त भूमि 17.08.2000 को हरिओम मीणा पुत्र जगन्नाथ प्रसाद मीणा निवासी मकान नम्बर 46/36 रामचन्द्रपुरा छावनी कोटा को उक्त भूमि में से 0.18 हैक्टर भूमि विक्रय कर दी और नामान्तरण संख्या 85 से खरीददार का नाम दर्ज हो गया, शेष 0.02 हैक्टर भूमि रामलाल के नामान्तरण संख्या 145 से दर्ज हुई, इस प्रकार नामान्तरण संख्या 162 दिनांक 05.06.2020 से नगर विकास न्यास कोटा के नाम धारा 90 बी की कार्यवाही कर दर्ज कर दी गई, इस प्रकार उक्त भूमि आवादी में आ गई है, और खरीदारान ने पृथक पृथक प्लाट्स काटकर विभिन्न लोगो को विक्रय कर दिये हैं, जिन्होंने अपने अपने मकानात भी निर्माण करा लिये हैं, और इस प्रकार संबंधित खरीददारों ने पृथक-पृथक भूखण्डो पर माके पर कब्जा है, यह सभी तथ्य माननीय न्यायालय से छिपाते हुये उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है, इसलिये वाद सव्यय खारिज होने योग्य है।
 - प्रतिवादी क्रम 1 की उक्त आराजी पर कोई प्लानिंग नहीं है और न ही प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा राजकीय उपयोग हेतु धारा 90 बी में आवादी में भूमि दर्ज करी है, बल्कि इसके विपरीत स्वयं वादीगण के पिता द्वारा यह भूमि 21.01.1998 को ही विक्रय कर दी गई थी, और उनके द्वारा भूखण्डों में विभक्त कर कई लोगो को पृथक पृथक भूखण्ड विभक्त कर दिये, जिनके मकानात भी भूखण्डो पर बने हुये हैं, और उन्होने ही धारा 90 बी की कार्यवाही हेतु आवेदन किया था, जो नियमानुसार पालना पूर्ण होने पर उक्त भूमि यूआईटी के खाते दर्ज की गई इसलिये किशाना के वारिसान किसी भी प्रकार का मुआवजा पाने के अधिकारी नहीं है, और न उक्त वाद लाने के अधिकारी है, तथा वादीगण का कोई वाद कारण भी उत्पन्न नहीं हुआ है, और वाद कारण के अभाव में भी दावा खारिज होने योग्य है।
 - वाद पेश करने से पूर्व न तो धारा 80 सीपीएच एवं धारा 98 यूआईटी एक्ट के तहत कोई नोटिस नहीं दिये गये हैं, जिसके अभाव में भी दावा वादीगण कानूनन मेन्टनेस हैक्टर (मुक्यालय) कोटा

होने से सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

- वादीगण का न तो कोई टाईटल है और न ही उनका कोई कब्जा ही मौके पर किसी भूमि पर है, और ऐसी स्थिति में वादी का न तो कोई पृथम दृष्ट्या केस है और न सुविधा संतुलन उनके पक्ष में है, तथा वह किसी प्रकार की निषेधाज्ञा भी जारी कराने के अधिकारी नहीं है, और न ही किसी प्रकार की घोषणा कराने के अधिकारी है, और दावा वादीगण सव्यय खारिज होने योग्य है।

5. दौराने वाद, प्रकरण में निम्नांकित तनकीयात कायम किये गये -

(1) आया विवादित आराजी पर वादीगण व उसके पिता का 60 वर्षों से अधिक समय से बहैसियत खातेदार कब्जा चला आ रहा है।

- वादीगण

(2) प्रतिवादी नम्बर 2 ने अवैधानिक तरीके से धारा 90 बी की कार्यवाही विवादित आराजी को कर प्रतिवादी नम्बर-1 के खाते दर्ज कर दिया।

-वादीगण

(3) दावा पेश करने का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ।

-प्रतिवादी-1

(4) उक्त भूमि ले-आउट पास कर 90 बी में आबादी में दर्ज कर दी गई।

-प्रतिवादी-1

(5) अनुतोष?

6. प्रकरण में वादी अभिनाषक ने अपनी बहस में दावे के कथनों को दोहराते हुये निम्न निवेदन किया गया।

- ग्राम आनंदपुरा उर्फ फूटतालाब पटवार हल्का लखावा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा खसरा नम्बर 23/113 की 0.20 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। वादीगण के पिता किशाना आत्मज देवा की खातेदारी में पुराने खसरा नम्बर 171 की 1 बीघा भूमि दर्ज चली आ रही थी जिसका अंकन जनाबंदी संवत् 2027-30 में हो रहा है, सेटलमेन्ट बाद नये खसरा नम्बर 23/113 कायम हुये। जिसकी इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड की जनाबंदी संवत् 2038-57 में दर्ज है तथा उक्त भूमि किशाना के नाम खाता संख्या 5 पर दर्ज हो रही है।

- भूमि पर वादीगण के पिता किशन का लगभग 60 वर्षों से तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण का कब्जा कारत चला आ रहा है। उक्त भूमि की कारत से ही वादीगण अपने परिवार का पालन-पोषण करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि के अलावा वादीगण के पास अन्य कोई कृषि भूमि नहीं है उक्त भूमि ही वादीगण की आजीविका का एक मात्र साधन है।

- प्रतिवादी नम्बर 2 ने बिना किसी प्रकार की सूचना दिये अथवा, नोटिस जारी किये, उक्त भूमि की उद्घोषणा जारी किये बिना अथवा मुआवजा दिये बिना अवैधानिक तरीके से धारा 90 बी की कार्यवाही कर प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते दर्ज कर दी है। नकल जनाबंदी संवत् 2071-74 पेश है।

- उपरोक्त भूमि वादीगण व उसके पिता का 60 वर्षों से अधिक समय से बहैसियत खातेदार कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज होने के पश्चात् भी प्रतिवादी नम्बर 1 का कोई कब्जा नहीं है बल्कि वादीगण का ही कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि अवैधानिक तरीके से प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादी नम्बर 1 को उक्त भूमि पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

- वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त वादीगण के पिता के खातेदारी की भूमि को बिना किसी आधार के बिना किसी प्रकार की सूचना व मुआवजे दिये व अवाप्त किये प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते दर्ज करने पर तथा वादीगण द्वारा उक्त भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते से हटा कर वादीगण की खातेदारी में दर्ज करने हेतु प्रतिवादीगण को दिनांक 02.04.2024 को कहने पर उनके द्वारा इंकार करने पर पैदा हुआ।

- अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम आनन्दपुरा उर्फ फूटतालाब पटवार हल्का लखावा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 33/113 की 0.20 हैक्टर भूमि जो वादीगण के पिता की खातेदारी की भूमि है, का वादीगण को खातेदार घोषित किया है।

(मुज्यालय) कोटा

जावे।

- ग्राम आनन्दपुरा उर्फ फूटातालाब पटवार हल्का लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 33/113 की रकबा 0.20 हैक्टर भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते से हटारी जाकर वादीगण की खातेदारी मे दर्ज किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड मे दुरुस्ती फरमायी जावे तथा प्रतिवादीगण को ग्राम आनन्दपुरा उर्फ फूटातालाब पटवार हल्का लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 33/113 की 0.20 हैक्टर भूमि मे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे अथवा आवंटन व अन्य प्रकार से सेट अपाट व अंतरण व हस्तान्तरण नही करे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न अपने प्रतिनिधि से करावे।
7. प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा अपनी बहस मे जबाब दावे के कथनो को दोहराते हुये निम्न निवेदन किया गया।
- वादी ने आराजी खसरा नम्बर 23/113 रकबा 0.20 हैक्टर वाके ग्राम आनन्दपुरा उर्फ फूटातालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा की भूमि किशन वल्द देवा जाति भील निवासी रंगबाडी ने उक्त भूमि क्रेता रामलाल पुत्र छीतरलाल जाति भील, निवासी 7 एच 25 महावीर नगर तृतीय के नाम करा दी थी और जो नामान्तरण संख्या 65 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.01.1998 किशना वल्द देवा के स्थान पर खरीददार का नाम दर्ज हो गया था, और उसी दिन किशना एवं किशना के वारिसान को उक्त वाद लाने का अब कोई कानूनी अधिकार नही है, इसलिये दावा वादी प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है।
 - रामलाल पुत्र छीतरलाल ने उक्त भूमि 17.08.2000 को हरिओम मीणा पुत्र जगन्नाथ प्रसाद मीणा निवासी मकान नम्बर 46/36 रामचन्द्रपुरा छावनी कोटा को उक्त भूमि मे से 0.18 हैक्टर भूमि विक्रय कर दी और नामान्तरण संख्या 85 से खरीददार का नाम दर्ज हो गया, शेष 0.02 हैक्टर भूमि रामलाल के नामान्तरण संख्या 145 से दर्ज हुई, इस प्रकार नामान्तरण संख्या 162 दिनांक 05.06.2020 से नगर विकास न्यास कोटा के नाम धारा 90 बी की कार्यवाही कर दर्ज कर दी गई, इस प्रकार उक्त भूमि आबादी मे आ गई है, और खरीदारान ने पृथक पृथक प्लाट्स काटकर विभिन्न लोगो को विक्रय कर दिये है, जिन्होने अपने अपने मकानात भी निर्माण करा लिये है, और इस प्रकार संबंधित खरीददारों ने पृथक-पृथक भूखण्डो पर मौके पर कब्जा है, यह सभी तथ्य माननीय न्यायालय से छिपाते हुये उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है, इसलिये वाद सब्यय खारिज होने योग्य है।
 - प्रतिवादी क्रम 1 की उक्त आराजी पर कोई प्लानिंग नही है और न ही प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा राजकीय उपयोग हेतु धारा 90 बी मे आबादी मे भूमि दर्ज की है, बल्कि इसके विपरीत स्वयं वादीगण के पिता द्वारा यह भूमि 21.01.1998 को ही विक्रय कर दी गई थी, और उनके द्वारा भूखण्डों मे विभक्त कर कई लोगो को पृथक पृथक भूखण्ड विभक्त कर दिये, जिनके मकानात भी भूखण्डो पर बने हुये है, और उन्होने ही धारा 90 बी की कार्यवाही हेतु आवेदन किया था, जो नियमानुसार पालना पूर्ण होने पर उक्त भूमि यूआईटी के खाते दर्ज की गई इसलिये किशना के वारिसान किसी भी प्रकार का मुआवजा पाने के अधिकारी नही है, और न उक्त वाद लाने के अधिकारी है, तथा वादीगण का कोई वाद कारण भी उत्पन्न नही हुआ है, और वाद कारण के अभाव मे भी दावा खारिज होने योग्य है।
 - वाद पेश करने से पूर्व न तो धारा 80 सीपीसी एवं धारा 98 यूआईटी एक्ट के तहत कोई नोटिस नही दिये गये है, जिसके अभाव मे भी दावा वादीगण कानूनन मेन्टेनेबल नही होने से सब्यय खारिज किये जाने योग्य है।
 - वादीगण का न तो कोई टाईटल है और न ही उनका कोई कब्जा ही मौके पर किसी भूमि पर है, और ऐसी स्थिति मे वादी का न तो कोई पृथम दृष्टया केस है और न सुविधा संतुलन उनके पक्ष मे है, तथा वह किसी प्रकार की निषेधाज्ञा भी जारी कराने के अधिकारी नही है, और न ही किसी प्रकार की घोषणा कराने के अधिकारी है, और दावा वादीगण सब्यय खारिज होने योग्य है।
8. प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त प्रकरण में कायम की गई तनकीयात निम्नानुसार तय की जाती है -
- (1) आया विवादित आराजी पर वादीगण व उसके पिता का 60 वर्षों से अधिक समय से बहसियत खातेदार कब्जा चला आ रहा है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। प्रस्तुत प्रकरण मे वादीगण द्वारा विवादित आराजी के कब्जे काश्त के संबंध मे प्रस्तुत किया गया है।
- (मुह्यालय) कोटा

दस्तावेज (खसरा गिरदावरी) पेश नहीं किया गया। जिससे यह साबित किया जा सके कि पिछले 60 वर्षों से विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा हो। तथा वादी मदनलाल, व रामलाल द्वारा अपने बयानों में भी उक्त विवादित आराजी पर काश्त करना नहीं बताया गया। अतः स्पष्ट है विवादित आराजी पर वादीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। अतः यह तनकी वादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

(2) प्रतिवादी नम्बर 2 ने अवैधानिक तरीके से धारा 90 बी की कार्यवाही विवादित आराजी को कर प्रतिवादी नम्बर-1 के खाते दर्ज कर दिया। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। पत्रावली का अवलोकन अध्ययन करने पर स्पष्ट है ग्राम आनन्दपुरा उर्फ फूटातालाब पटवार हल्का धर्मपुरा जमाबंदी संवत् 2071-74 में विवादित आराजी नगर विकास न्यास (धारा 90बी) के खाते दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र एवं दस्तावेजों से यह साबित नहीं किया गया कि किस नामान्तरण के आधार पर विवादित आराजी वादीगण के खाते से हटाकर प्रतिवादी नम्बर 2 के खाते दर्ज की गई। तत्पश्चात् पुनः नामान्तरण की कार्यवाही कर प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते दर्ज की गई। अतः यह तनकी वादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

(3) दावा पेश करने का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी नम्बर 1 पर था। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के दिनांक 02.04.2024 प्रतिवादी से अपने खाते दर्ज करवाने की कहने पर उत्पन्न हुआ। परंतु ना तो वादीगण के बयानों में वाद कारण का कोई उल्लेख नहीं है। विवादित आराजी 90 बी की कार्यवाही से पूर्व विवादित आराजी वादीगण के पिता किशना द्वारा दिनांक 21.01.1998 को बेचान कर दी गई। खरीददार रामलाल पुत्र धीतरलाल ने उक्त भूमि 17.8.2000 को हरिओम गीणा पुत्र जगन्नाथ प्रसाद गीणा को विवादित आराजी में से 0.18 हैक्टर आराजी विक्रय कर दी गई तथा नामान्तरण 85 से खरीददार के नाम दर्ज हो गया। अतः स्पष्ट है वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

(4) उक्त भूमि ले-आउट पास कर 90 बी में आवादी में दर्ज कर दी गई। इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी नम्बर 1 पर था। विवादित आराजी पर पूर्व खातेदार हरिओम गीणा पुत्र जगन्नाथ प्रसाद गीणा द्वारा भूखण्डों की प्लानिंग कर पृथक-पृथक भूखण्ड लॉगो को विक्रय कर देने के कारण वैधानिक प्रक्रिया से धारा 90 बी के तहत भूमि नगर विकास न्यास के खाते में दर्ज हुई है। चूंकि भूमि आवादी में होने से तथा विवादित आराजी पर कब्जे काश्त के संबंध में कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण नगर विकास न्यास की 90 बी की कार्यवाही वैधानिक है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

(5) अनुतोष?

ग्राम आनन्दपुरा उर्फ फूटातालाब पटवार हल्का लखावा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा खसरा नम्बर 23/113 की 0.20 हैक्टर आराजी वादीगण के खाते में खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी। जिसका इन्द्राज राजरव रिकॉर्ड की जमाबंदी संवत् 2047-50 में दर्ज है। परंतु में विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 (धारा 90 बी) के खाते में वर्तमान जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादी के खाते जिस नामान्तरण से दर्ज की गई उस नामान्तरण की अपील वादीगण को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष की जानी चाहिये थी। परंतु वादीगण द्वारा ऐसा नहीं किया गया। तथा विवादित आराजी 90 बी की कार्यवाही से पूर्व वादीगण के खाते दर्ज न होकर किशनलाल पुत्र धन्ना लाल जाति गीणा निवासी गुहाटा, तहसील केशोरायपाटन के खाते दर्ज थी। परंतु वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के कथन में इस बाबत कोई उल्लेख नहीं किया गया। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 188 के तहत घोषणा खातेदारी, राजरव रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरुरती, स्थायी निषेधाज्ञा बाबत का अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है।

9. प्रस्तुत प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि -

❖ ग्राम आनन्दपुरा उर्फ फूटातालाब पटवार हल्का लखावा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा खसरा नम्बर 23/113 की 0.20 हैक्टर आराजी वादीगण के खाते में खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी। जिसका इन्द्राज राजरव रिकॉर्ड की जमाबंदी संवत् 2047-50 में दर्ज है। परंतु में विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 (धारा 90 बी) के खाते में वर्तमान जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादी के खाते जिस नामान्तरण से दर्ज की गई उस नामान्तरण की अपील वादीगण को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष की जानी चाहिये थी। परंतु वादीगण द्वारा ऐसा नहीं किया गया। तथा विवादित आराजी 90 बी की कार्यवाही से पूर्व वादीगण के खाते दर्ज न होकर किशनलाल पुत्र धन्ना लाल जाति गीणा निवासी गुहाटा,

सहायक कमिश्नर
(मुख्यालय) कोटा

तहसील केशोरायपाटन के खाते दर्ज थी। परंतु वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के कथन में इस बाबत कोई उल्लेख नहीं किया गया।

अतः वादी का वाद (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 188 बाबत घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरुस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा साक्ष्य, उचित दस्तावेज के अभाव में पोषनीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

10 निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 28 जुलाई, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्रीमती हुकम कँवर)
सहायक कलेक्टर,
(मुख्यालय), क्वेटा



मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी - हुकम कँवर, R.A.S.

बउनवान :-

1. चन्दालाल पुत्र किशना जी 2. लदूरलाल पुत्र किशना जी 3. छोटूलाल पुत्र किशना जी 4. गेंदीलाल पुत्र किशना जी जाति भील निवासीगण रंगबाड़ी कोटा तहसील लाड़पुरा, कोटा।	- (वादीगण)
वनाम	
1. नगर विकास न्यास कोटा जरिये सचिव नगर विकास न्यास, कोटा, राजस्थान 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाड़पुरा जिला कोटा।	-प्रतिवादीगण

दावा बाबत : 88,89,188 RTA
मुकदमा नम्बर : 32/25
निर्णय दिनांक : 28-07-2025

(GCMS id : 2024/52)

न्यायालय हाजा में वादी अभिभाषक श्री रामकिशन वर्मा एवं प्रतिवादी नम्बर-1 अभिभाषक श्री शंभूदयाल विजय की उपस्थिति में पीठासीन अधिकारी (डिक्रीदार) श्रीमती हुकम कँवर, आर.ए.एस. के समक्ष बहस सुनने के उपरान्त अन्तिम निपटारे के लिये आज तारीख 28-07-2025 को पेश होने पर वादीगण द्वारा पेश वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा अंतर्गत 88, 89, 188 खातेदारी अधिकारो की घोषणा तथा इन्द्राज दुरुस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है। परंतु विवादित आराजी वर्तमान मे नगर विकास न्यास कोटा (90 बी) के खाते दर्ज रिकॉर्ड है तथा पर्याप्त साक्ष्य व उचित दस्तावेज के अभाव मे दावा पोषनीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

'खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 28 जुलाई, 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(श्रीमती हुकम कँवर)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
क्र.सं.	विवरण	क्र.सं.	विवरण
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2.	अर्जी के लिये स्टाम्प
3.	अदालत के लिये स्टाम्प	3.	प्लीडर के लिये फीस
4.	रूपये पर प्लीडर की फीस	4.	साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय	5.	आदेशिका की तामिन
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिन	6.	कमिश्नर की फीस